

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 23, शक 1945

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 105/छ.रा.वि.नि.आ./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 की उप धारा (2) (जेडके) सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) में विहित प्रावधानों एवं पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छ.ग.रा.वि.नि.आ.) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम-2005 बनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 23/823/2022/13/1 दिनांक 04/01/2023 से आयोग कार्यालय हेतु तीन पदों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, उक्त स्वीकृत पदों को विनियम में सम्मिलित करने हेतु संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई, आयोग एतद् द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः—

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें)
(द्वितीय संशोधन) विनियम-2023**

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 है।
- (2) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।
- (3) इस विनियम में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005 में है। (आगे मूल विनियम के नाम से संदर्भित)

2. परिशिष्ट-1 में संशोधन — मूल विनियम के परिशिष्ट-1 को परिशिष्ट-1 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. **परिशिष्ट-2 में संशोधन** — परिशिष्ट-2 शीर्षक के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:— “मूल विनियम के नियम 7 (3) देखियें”
4. **परिशिष्ट-3 में संशोधन** — परिशिष्ट-3 शीर्षक के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है:— “मूल विनियम के नियम 7 (5) देखियें”
5. **परिशिष्ट-4 में संशोधन** — मूल विनियम के परिशिष्ट-4 को परिशिष्ट-4 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(सुधीर कुमार काले)

उप-सचिव.

परिशिष्ट-1
(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखियें)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड-“अ”

अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	सचिव	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800-₹2,14,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800-₹2,14,700	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800-₹2,14,700	तदैव
4.	निदेशक (विधि)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800-₹2,14,700	तदैव
5.	आर्थिक सलाहकार	1	तदैव	लेवल-15 ₹1,18,500-₹2,14,100	तदैव
6.	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900-₹2,11,700	तदैव
7.	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900-₹2,11,700	तदैव
8.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900-₹2,11,700	तदैव
9.	आर्थिक विश्लेषक	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900-₹2,11,700	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	उप सचिव	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900-₹2,11,700	प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300-₹2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12.	उप निदेशक (रेग्युलेटरी अफेयर्स)	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300-₹2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
13.	उप निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300-₹2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
14.	विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300-₹2,13,100	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
15.	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300-₹2,13,100	प्रतिनियुक्ति द्वारा
16.	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	वर्ग-2	लेवल-12 ₹56,100-₹1,77,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
17.	सहायक निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100-₹1,77,500	तदैव
18.	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100-₹1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
19.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100-₹1,77,500	तदैव

20.	लेखा अधिकारी	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100-₹1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
21.	अनुभाग अधिकारी	1	तदैव	लेवल-11 ₹49,100-₹1,55,800	तदैव
22	निज सचिव	2	तदैव	लेवल-11 ₹49,100-₹1,55,800	तदैव

नोट:- आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

खण्ड-"ब"

(मूल विनियम के नियम 7 (2) देखिये)

कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	निज सहायक	04	तृतीय	लेवल-9 ₹38100-₹1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	तदैव	लेवल-9 ₹38100-₹1,20,400	तदैव
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तदैव	लेवल-9 ₹38100-₹1,20,400	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	कार्यालय सहायक ग्रेड-1	01	तदैव	लेवल-9 ₹38100-₹1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
5.	स्टेनोग्राफर	05	तदैव	लेवल-7 ₹28,700-₹91,300	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	कम्प्यूटर सहायक	03	तदैव	लेवल-6 ₹25,300-₹80,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
7.	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	04	तदैव	लेवल-6 ₹25,300-₹80,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
8.	स्टेनोग्राफिस्ट	04	तदैव	लेवल-4 ₹19,500-₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
9.	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	05	तदैव	लेवल-4 ₹19,500-₹62,000	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	वाहन चालक	04	तदैव	लेवल-4 ₹19,500-₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	भृत्य	11	चतुर्थ	लेवल-1 ₹15,600-₹49,400	तदैव
12.	माली	01	तदैव	लेवल-1 ₹15,600-₹49,400	तदैव

नोट:- आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

परिशिष्ट-4
(मूल विनियम के नियम 18 देखियें)

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	निदेशक (इंजीनियरिंग)	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	8 वर्ष
2	निदेशक (टैरिफ)	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	8 वर्ष
3	निदेशक (विधि)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	8 वर्ष
4	आर्थिक सलाहकार	आर्थिक विश्लेषक	5 वर्ष
5	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
6	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	उप निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
7	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	5 वर्ष
8	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
9	उप निदेशक (टैरिफ)	सहायक निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
10	लेखा अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष
11	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
12	कम्प्यूटर प्रोग्रामर		
13	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
14	निज सहायक	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष
15	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कम्प्यूटर सहायक	5 वर्ष
16	अनुभाग अधिकारी	कार्यालय सहायक श्रेणी-1	5 वर्ष
17	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक ग्रेड-2 (वह जिसने शासकीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो)	5 वर्ष
18	कार्यालय सहायक श्रेणी-1	कार्यालय सहायक श्रेणी-2	5 वर्ष
19	स्टेनोग्राफर	स्टेनोग्राफिस्ट	5 वर्ष
20	कार्यालय सहायक श्रेणी-2	कार्यालय सहायक श्रेणी-3	5 वर्ष
21	कार्यालय सहायक श्रेणी-3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के पद हेतु राज्य शासन के नियमानुसार निर्धारित आह्वरता रखते हों)	5 वर्ष

नोट: उपरोक्त स्वीकृत पद संरचना में पदों की अनुपलब्धता की स्थिति में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो पदोन्नति से वंचित हैं उन्हें उच्च वेतनमान अगले उच्च पद के लिए देय वेतनमान होगा, जिस पर ऐसा कर्मचारी या अधिकारी अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र है। उच्च वेतनमान की पात्रता के संबंध में विस्तृत आदेश आयोग द्वारा समय समय पर जारी किया जावेगा।